



2026:AHC:52122

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3563 वर्ष 2026

गोपाल सिंह एवं 3 अन्य
बनाम

....याचिकाकर्ता

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अवध प्रताप सिंह शिशोदिया

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

- हमने याचिकाकर्ताओं (जिनकी संख्या 3 है) के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध प्रताप सिंह शिशोदिया एवं राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह की दलीलें सुनीं।
- याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, बी.ए.एम. एवं डेटा ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
- इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थीगण को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रथम दृष्टया द्वितीय प्रत्यर्थी, निदेशक, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्ठहार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा निष्ठारण किया जाना आवश्यक है।
- इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है एवं वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
- विरोधी पक्षों की दलीलों एवं उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निष्ठारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को द्वितीय प्रत्यर्थी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो इसे दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्राप्त होने पर, आदेश को प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय करेगा। यदि द्वितीय प्रत्यर्थी की राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए तो संबंधित दस्तावेज उन्हें भेज दिए जाएंगे।
- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थीगण से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।
- उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निष्ठारण किया जाता है।

16 मार्च, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"